पंजीयन संख्या : 68939 /98 अंक – 15, वर्ष – 24

ज्ञान तत्व

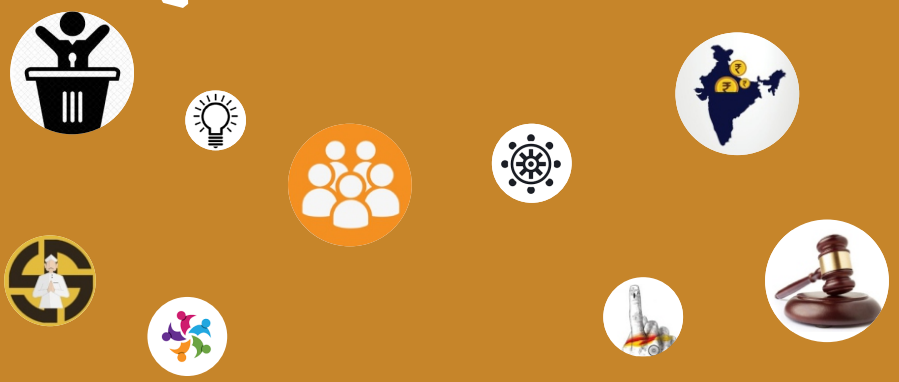

समाज शास्त्र | अर्थ शास्त्र | धर्म शास्त्र | राजनीति शास्त्र

428

-: सम्पादक :-
बजरंग लाल अग्रवाल
रामानुजगंज (छ.ग.)
सत्यता एवं निष्पक्षता का निर्भीक पाक्षिक

पोस्ट की तारीख 01/05/2023
प्रकाशन की तारीख 16/04/2023
पाक्षिक मूल्य - 2.50/- (दो रूपये पचास पैसे)
पेज संख्या - 24

“ शराफत छोड़ो, समझदार बनो ”

“ सुनो सबकी, करो मन की ”

“ समस्याओं के प्रणेता, कर कानून नेता ”

“ समाधान का आधार ज्ञान यज्ञ परिवार ”

“ चाहे कोई अत्याचार, नहीं करेंगे नही सहेंगे ”

“ हमें सुराज्य नही, स्वराज्य चाहिए ”

विविध विषयों पर मुनि जी का लेख

1–विपक्ष की मजबूरी–राहुल गांधी

मेरे विचार से राहुल गांधी एक नासमझ नेता है, लेकिन कभी–कभी ऐसा लगता है कि या तो राहुल बहुत चालाक है या कोई शातिर दिमाग राहुल का मार्गदर्शन कर रहा है। मैं सोचता हूं कि राहुल गांधी जो राजनैतिक जुआ खेल रहे हैं वह बहुत सोच समझकर खेल रहे है, राहुल गांधी कहीं भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई योजना बना रहे हैं। सच्चाई यह है कि विपक्षी एकता के महत्व राहुल गांधी अच्छी तरह समझ रहे हैं और उनका प्रयास है कि पूरा विपक्ष उनके नेतृत्व में चलने के लिए मजबूर हो जाए। वर्तमान समय में तो राहुल गांधी अपनी चाल में सफल होते दिख रहे हैं। राहुल गांधी के खिलाफ पूरा विपक्ष न चाहते हुए इकट्ठा होने के लिए मजबूर दिख रहा है। यहां तक कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने भी राहुल गांधी का समर्थन कर दिया है। इस साल नरेंद्र मोदी का विरोध करने में राहुल गांधी ने अन्य दलों की अपेक्षा प्रमुखता प्राप्त कर ली है। मोदी भी संभवत यही चाहते हैं विपक्ष का नेता राहुल गांधी ही बने रहे। विपक्ष राहुल गांधी को असफल और नासमझ मानता है, लेकिन विपक्ष के सामने भी एक संकट है कि राहुल गांधी नहीं तो दूसरा कौन? उसका कोई उत्तर विपक्ष के पास नहीं है। विपक्ष चाहता है कि किसी व्यक्ति विशेष के नेतृत्व में चुनाव न हो। चुनाव के बाद ही कोई सर्व सम्मत नेता चुना जाए जैसा कि आपातकाल के बाद हुआ था। लेकिन राहुल गांधी अच्छी तरह समझ रहे हैं कि यदि चुनाव के बाद नेतृत्व का निर्णय होगा तो वह सरकार अधिक दिन तक टिकाऊ नहीं होगी जैसा मुरारजी देसाई के बाद हुआ था। ऐसी मिली–जुली सरकारें ज्यादा दिन चल नहीं पाती हैं और वर्तमान समय में तो और भी कठिन है क्योंकि मोदी सरीखा खिलाड़ी भी विपक्ष के मुकाबलेखड़ा है। विपक्षी नेता भी इस बात को ठीक से समझ रहे हैं कि हिंदुओं को नाराज करके विपक्ष कोई चुनाव नहीं जीत सकता, लेकिन सभी विपक्षी दल इस बात को भी समझ रहे हैं कि मुसलमानों को नाराज करके अपने दल को आगे रखना बिल्कुल असंभव है, क्योंकि विपक्ष को मिले वोटों में मुसलमानों का वोट तीन चौथाई प्रतिशत महत्व रखता है। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और मायावती ने इस बात को समझ कर ही बदलाव के संकेत दिए हैं। लेकिन उन्हें आभास हो गया कि ऐसा करने से विपक्ष तो मजबूत हो सकता है लेकिन उनका अपना दल कमजोर हो जाएगा। हार थक कर कांग्रेस पार्टी को यह घोषणा करनी पड़ी कि यदि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो मुसलमानों को भी आरक्षण दिया जाएगा। कांग्रेस भी जानती है यह घोषणा हिंदुओं को देशभर में एकजुट करेगी। लेकिन यदि मुसलमान भी हाथ से चला गया तो कांग्रेस का हाल दिल्ली, बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसा हो जाएगा। इसलिए कांग्रेस साफ नीति बनाने में डर रही है। राहुल गांधी का वर्तमान राजनीतिक जुआ कितना सफल होगा और कितना घातक यह तो आगे चलकर पता चलेगा। लेकिन राहुल गांधी की वर्तमान चालों में राहुल और मोदी दोनों की सफलता दिख रही है और अन्य विपक्षी दल किंकर्तव्यविमूढ़ हो गये हैं।

2—गुण्डों की तानाशाही से मुक्त होता उत्तर प्रदेश

वर्तमान समय में अतीक अहमद की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। इस घटना से व्यवस्था परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए इस विषय पर हम लगातार तीन दिनों तक चर्चा करते रहेंगे। अतीक अहमद की घटना व्यवस्था में बदलाव का संकेत देती है। अतीक अहमद एक साधारण मुसलमान परिवार से है। वह बहुत हिम्मती है और आक्रामक स्वभाव का है। करीब 40 वर्ष पहले उस क्षेत्र के एक चांद बाबा नाम के कुख्यात मुस्लिम अपराधी से परेशान इलाहाबाद की पुलिस ने अतीक अहमद को प्रोत्साहित किया। पुलिस की शह पाकर अतीक अहमद ने चांद बाबा को खत्म करने के साथ स्वयं अपना मजबूत गिरोह भी बना लिया और अपने गिरोह के दम पर बड़े—बड़े अपराध करने लगे। अतीक को यह बात अच्छी तरह मालूम थी कि दुनिया की कोई भी ताकत जब तक गवाह ना मिले तब तक अतीक को किसी तरह का दंड नहीं दे सकती। अतीक ने शुरू से ही यह महसूस कर लिया कि यदि किसी की हत्या करने के बाद उसके गवाह की भी बाद में हत्या कर दी जाए और इस गवाह की हत्या के खिलाफ गवाही देने वाले गवाह की भी हत्या कर दी जाए तो भविष्य में आप कभी न्यायालय से दंडित नहीं हो पाएंगे क्योंकि आपके आतंक के डर से आपके खिलाफ कोई भी गवाही नहीं देगा और गवाही के अभाव में आपको कोई सजा नहीं होगी। अतीक अहमद ने भी ठीक यही मार्ग अपनाया। धीरे—धीरे अतीक का आतंक बहुत बढ़ने लगा और पुलिस के स्थान पर अब उसे राजनीतिक दलों का समर्थन भी मिलने लगा। अतीक ने स्वयं विधानसभा के चुनाव लड़ने शुरू कर दिए और जीत गए।अतीक को अथाह धन मिलने लगा। वह समाज सेवा भी करने लगा। राजनीतिक सत्ता में भी प्रमुख भागीदार बन गया। अतीक को चुनौती देने वाला जिंदा नहीं रहेगा यह बात जन जन तक फैल गई।

लेकिन एकाएक भारत की राजनीतिक परिस्थिति बदल गई। दुनिया जानती है कि जिस तरह अतीक अपनी दादागिरी के बल पर व्यक्तिगत, पारिवारिक और सांप्रदायिक स्थिति को मजबूत कर रहा था, ठीक उसी तरह योगी आदित्यनाथ भी मुस्लिम सांप्रदायिकता के विरुद्ध अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे। अब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अब न्यायपालिका का रवैया बदल जाता है। राजू पाल की गवाही उसके अपहरण के बाद बदल दी जाती है और फिर राजू पाल से धन की मांग की जाती है जिसके बदले में उसकी हत्या हो जाती है। अतीक को पूरा विश्वास था कि बिना गवाही के न्यायालय कभी दंडित नहीं करेगा लेकिन न्यायालय ने राजू पाल के अपहरण के मामले में ही अतीक को उम्र कैद का दंड दे दिया। क्योंकि जिस दौर में अतीक न्यायालय से निर्दोष सिद्ध हो रहा था, उस दौरान समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को अतीक की जरूरत थी। वर्तमान योगी सरकार को मजबूत होने के लिए अतीक को दंडित होने की जरूरत है। जो अतीक कई लोगों की हत्याएं करने के बाद भी कभी जेल नहीं जाता था, क्योंकि राजनीतिक दलों का बहुत ही प्रभावशाली सदस्य माना जाता था। जो अतीक अपने मूछों पर जब ताव देता था तो बड़े—बड़े लोगों का पेशाब निकल जाता था, वही

अतीक आज कमजोर मुकदमे में भी आजीवन जेल की सजा प्राप्त कर लेता है। वही अतीक मीडिया के सामने रोता हुआ लाचार और बेबस नजर आता है। यह गंभीर विचार करने की बात है कि तीन–चार वर्षों में ही अतीक की दुनिया किस तरह बदल जाती है। इस विषय पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। आज ऐसा साफ दिखता है कि उत्तर प्रदेश में गुंडों की तानाशाही की जगह अब शरीफों की तानाशाही स्थापित होने जा रही है।

3–सामान नागरिक संहिता में बाधा मुस्लिम सांप्रदायिकता

यह तो स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद के साम्राज्य के पतन से यह प्रमाणित हो गया है कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव हो रहा है। विशेषकर उत्तर प्रदेश में तो यह साफ दिख रहा है। लेकिन बदलाव के कारणों पर गंभीर समीक्षा करने की जरूरत है। भारत में सिर्फ सत्ता परिवर्तन हुआ है उसके बाद कोई कानून नहीं बदला है। व्यवस्था तो कानून से संचालित होती है लेकिन कानून वही है जो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के पहले थी। संविधान में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है संविधान भी पूर्ववत काम कर रहा है। फिर भी सांप्रदायिक व्यवस्था में पूरा बदलाव दिख रहा है इसके कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं। सबसे पहला तो कारण यह है कि स्वतंत्रता के बाद भारत का मुसलमान राजनीतिक आधार पर एकजुट था। हिंदू मतदाता अन्य आधारों पर विभाजित थे। अब यह बदलाव साफ दिख रहा है कि भारत का हिंदू मतदाता एकजुट हो रहा है और मुस्लिम मतदाता अलग–अलग गुटों में विभाजित है। पुराने समय में मुसलमान एकजुट होकर कांग्रेस को वोट देते थे। अब मुसलमान अलग–अलग दलों में बँटता जा रहा है। इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। दूसरा कारण यह है कि मुसलमान हिंदुओं की तुलना में अधिक आक्रामक होते हैं। मुसलमानों की आबादी भारत में 16 प्रतिशत के करीब है और मुस्लिम अपराधियों की संख्या पूरी आबादी में लगभग 50 प्रतिशत है। पहले दिग्विजय सिंह सरीखे लोग कांग्रेस शासन में यह तर्क देते थे कि जेलों में हिंदुओं की तुलना में मुसलमानों को अधिक तंग किया जा रहा है। ये लोग मुसलमानों को पीड़ित सिद्ध करते थे और अपराधी मुसलमानों का मनोबल बढ़ाते थे। अब धीरे–धीरे यह तर्क दिया जा रहा है कि अपराधियों में मुसलमानों का प्रतिशत बहुत अधिक है और मुसलमान विश्वसनीय नहीं है। इस बात का भी समाज पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तीसरी बात यह है कि भारत का हिंदू समान नागरिक संहिता की मांग करता है तो मुसलमान इसका विरोध करता है। सारी दुनिया में अब तक कहीं ऐसा नहीं है जहां अल्पसंख्यक समान नागरिक संहिता का विरोध करें और बहुसंख्यक व्यवस्था में बदलाव के लिए समर्थन करें। एक महत्वपूर्ण आधार यह है कि मोदी पूर्व के शासन में न्यायाधीशों की नियुक्ति नेहरू परिवार के लोग करते थे। नेहरू परिवार के लोग सिर्फ वामपंथियों को न्यायपालिका तथा अन्य प्रशासनिक पदों पर विशेष महत्व देते थे। बाकायदा इसके लिए जेएनयू की स्थापना की गई थी। न्यायिक और उच्च प्रशासनिक पदों पर जेएनयू के पढ़े हुए वामपंथियों को विशेष महत्व प्राप्त था। अब पिछले कुछ वर्षों से न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायपालिका करने लगी है। उसमें

नेहरू परिवार अथवा किसी प्रधानमंत्री का एकाधिकार नहीं है। परिणाम हुआ कि न्यायपालिका से ऐसे वामपंथी न्यायाधीश रिटायर्ड होते चले गए और अन्य विचारधाराओं के लोगों का उसमें समावेश होता चला गया। न्यायपालिका में वामपंथियों का बहुमत ही राम मंदिर के मामले को निपटने नहीं देता था। राम मंदिर के लिए पिछले कई सौ वर्षों से बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी, लेकिन न्यायपालिका ने कभी चिंता नहीं की। अब राम मंदिर का मुद्दा बहुत आसानी से निपट गया।

एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सांप्रदायिकता को प्रत्यक्ष रूप से रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और योगी आदित्यनाथ ही अधिक सफल हैं। अन्य प्रदेशों के लोग उतने सफल नहीं है क्योंकि योगी आदित्यनाथ ईमानदार भी है, संन्यासी भी है और हिम्मती भी है। योगी आदित्यनाथ अपने जान या सत्ता की परवाह नहीं करते। यही कारण है कि रामनवमीं को देश के कई भागों में मुसलमानों ने अपनी आक्रामकता सिद्ध की। लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। मेरे विचार से भारत का संप्रदायिक संतुलन मुसलमानों के हाथ से निकल कर हिंदुओं के हाथ में जा रहा है और भविष्य में भी यह व्यवस्था परिवर्तन अधिक तेज गति से होगा। ये सब इसके स्पष्ट लक्षण हैं। मुसलमानों को सांप्रदायिक एकजुटता भी छोड़नी होगी और आपराधिक प्रवृत्ति से भी बचना होगा।

4—राज दण्ड का भय

रामनवमी के जुलूस पर जिस तरह छतों से पथराव किया गया, जिस तरह आग लगाई गई, जिस तरह दंगा भड़काया गया, वह इस बात को सिद्ध करता है कि योगी आदित्यनाथ को भारत का गृह मंत्री होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने अच्छी तरह समझ लिया है कि मुसलमान बिना भय के कुछ भी मानने वाला नहीं है, अगर उसे शासन का डर होगा तो सीधा चलने लगेगा जैसा वह गुजरात में चल रहा है, जैसा वह उत्तर प्रदेश में चल रहा है। भले ही बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्रझारखंड और बिहार में रामनवमी के दंगे हुए लेकिन उत्तर प्रदेश में इन सब प्रदेशों से बड़ा होते हुए भी कहीं दंगा नहीं हुआ। मामूली—सी कोई घटना हुई भी तो तुरंत समाप्त हो गई। यह प्रमाणित करता है कि मुसलमान बचपन से ही परिवार में मरने—मारने की बात सीख लेता है। मरने—मारने की शिक्षा हर मुसलमान की प्राथमिक संस्कृति बन जाती है और इसके कारण वह भय से ही चुप रह सकता है अन्यथा नहीं रह सकता क्योंकि मरना या मारना उसके धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। हिंदुओं में इस प्रकार की कोई प्रथा नहीं है। हिंदुओं में 80 प्रतिशत आबादी मार्गदर्शक पालक और सेवकों की मानी जाती है, 20 प्रतिशत ही रक्षक जिन्हें क्षत्रीय कहते हैं,उनकी आबादी है। इस तरह वर्ण व्यवस्था हिंदुओं को शांत रहने की संस्कृति सिखाती है और वर्ण व्यवस्था का अभाव मुसलमानों को जन्म से ही आक्रामक रहने का सुझाव देता है। इसलिए योगी आदित्यनाथ का यह रिसर्च और निष्कर्ष बहुत उपयोगी है कि मुसलमान भय से ही शांत रह सकता है समझौते से कभी नहीं हो सकता। कभी समझा—बुझाकर सहजीवन स्वीकार नहीं कर सकता। मेरे विचार से योगी आदित्यनाथ के इस निष्कर्ष पर भारत की सभी सरकारों को विचार करना चाहिए।

5 व्यवस्था परिवर्तन कि आवश्यकता

अतीक अहमद को न्यायालय द्वारा दंडित किया जाना और योगी आदित्यनाथ के गैरकानूनी भय ने व्यवस्था परिवर्तन का पहला संकेत दे दिया है। मैं मानता हूँ कि अपराध जगत में मुसलमानों की भूमिका अपनी 20 प्रतिशत आबादी की तुलना से बहुत अधिक 50 प्रतिशत तक है। लेकिन अपराध जगत में बड़ी संख्या में हिंदू भी शामिल है। फिर एक प्रश्न और खड़ा होता है कि किसी व्यक्ति के भरोसे कोई व्यवस्था लंबे समय तक नहीं चल सकती। यदि किसी कारण से नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ का अभाव हो जाएतब व्यवस्था में अब तक हुए बदलाव का क्या होगा,यह चिंता का विषय है। इसलिए हमें किसी व्यक्ति के भरोसे न रहकर अपराध नियंत्रण का स्थाई समाधान सोचना चाहिए और इसके लिए कानूनों में बदलाव करना पड़ेगा। यदि आवश्यक हो तो संविधान में कुछ बदलाव हो सकता है। अब तक भारत के गलत कानूनों ने ही अपराधियों का मनोबल बढ़ाया है। कानून के अनुसार गांजा रखने को गंभीर अपराध और बंदूक पिस्तौल रखने को छोटा अपराध माना गया। सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलने वाले या स्वेच्छा से दहेज देने वालों को गंभीर अपराध और मारपीट केछोटे–छोटेमामले को गंभीर अपराध बना दिया गया। संविधान में भी न्याय की बहुत हीअस्पष्ट परिभाषा शामिल की गई है। जिसमें यदि कोई अपराधी न्यायालय से निर्दोष सिद्ध होता है तो वह अपराध पीड़ित के प्रति अन्याय नहीं माना जाता। सौ अपराधी भले ही छूट जाए लेकिन एक निरपराध दंडित ना हो, यह न्याय की बहुत विकृत परिभाषा है। होना तो यह चाहिए था कि पुलिस द्वारा घोषित अपराधी को निर्दोष न मानकर संदिग्ध माना जाता। अपराध की परिभाषा मौलिक अधिकारों के उल्लंघन तक सीमित की जाए। गंभीर अपराध होने पर निर्दोष प्रमाणित करने का भार अपराधियों पर डाल दिया जाए तो इन सुधारों से आंशिक बदलाव आ सकता है। लेकिन इन न्यायिक सुधारों से भी तत्काल कोई बदलाव नहीं दिखेगा। जहाँ आम जनता में भय का वातावरण है वहां अपराधियों को तत्काल भयभीतकरना जरूरी है। यह भय राजनेताओं तथा न्यायाधीशों तक को होना चाहिए। इसके लिए संविधान में एक नए प्रावधान की जरूरत है कि गुप्तचर न्यायिक प्रणाली अलग से होगी। जिस जिले के कलेक्टर, एसपी और सेशन जज तीनों मिलकर सर्वसम्मति से अपने जिले में आपात परिस्थितियां घोषित कर देंगे उस जिले में गुप्तचर न्यायिक व्यवस्था लागू होनी चाहिए। इस व्यवस्था का संचालन सर्वोच्च न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायाधीश से भिन्न होगा। जिसकी नियुक्ति का तरीका भी अलग होगा। ऐसे आपात जिले में गुप्तचर पुलिस महत्वपूर्ण अपराधियों के खिलाफ गुप्त मुकदमा प्रस्तुत करेंगी और गुप्तचर न्यायालय उसे गुप्त सुनवाई के द्वारा दंडित कर सकेगा। वर्तमान में पुलिस को जो बहुत से अधिकार दिए गए हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे और गुप्तचर न्यायालय महत्वपूर्ण हो जाएगा, जिस पर सरकार का भी कोई नियंत्रण नहीं होगा। इस घोषणा के कुछ घंटों के अंदर ही अधिकांश बड़े अपराध पूरी तरह बंद हो जायेंगे। यह गुप्तचर न्यायिक प्रणाली अपराध नियंत्रण के लिए पश्चिम की प्रणाली से हटकर एक भारतीय प्रणाली के रूप

में प्रभावकारी सिद्ध हो सकती है। जब तक कोई कानूनी और संवैधानिक बदलाव नहीं होता, तब तक योगी आदित्यनाथ की अपराध नियंत्रण प्रणाली को देशभर में विस्तार देना चाहिए। लेकिन हमें इसके साथ–साथ वर्तमान कानूनों में तथा संविधान में भी संशोधन की प्रक्रिया पर एक सार्थक बहस शुरू कर देनी चाहिए।

6–अपराधी मुस्लिम और विपक्षी दलों का गठजोड़ घातक

अपराधियों और मुसलमानों के बीच जो अपवित्र तालमेल बना, उसका आंशिक समाधान तो योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी ही कर पा रहे हैं और दीर्घकालिक समाधान संविधान और कानूनों में कुछ संशोधन करने से ही होगा। लेकिन संविधान और कानून में संशोधन के लिए भी हमें मोदी और योगी के साथ ही जुड़ना होगा। क्योंकि अधिकांश विपक्षी दल इस्लाम और अपराध के गठबंधन के पक्ष में खड़े हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारी यह दीर्घकालिक आवश्यकता है कि हम कानूनी और संवैधानिक समाधानों पर जन जागरण करते रहें। किंतु तात्कालिक समाधान के रूप में हमें नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत पर पूरा विश्वास करना चाहिए। तात्कालिक समाधान में योगी आदित्यनाथ अधिक सफल है। किंतु यदि दीर्घकालिक समाधान को भी साथ में जोड़ कर देखा जाए तो मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ही ज्यादा उपयुक्त दिखती है। अपराधी मुस्लिम और विपक्षी दलों के गठजोड़ से हमारी सामाजिक शांति व्यवस्था खतरे में है। इसके समाधान के लिए सभी हिंदुओं को एक जुट होकर नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का साथ देना चाहिए, यदि मुसलमान भी धीरे–धीरे नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत के साथ जुड़ जाते हैं तो इस समस्या का समाधान आसानी से हो जाएगा। अन्यथा सभी हिंदुओं को तो आंख बंद करके नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का साथ देना चाहिए। अतीक अहमद का जो इतिहास रहा है उसकी कभी दोबारा गुंजाइश ना हो, बल्कि इस तरह की घटनाओं को जड़ से समाप्त कर दिया जाए। यह वर्तमान समाज की पहली आवश्यकता है। मुसलमानों को हिंदुओं के साथ एकजुटता दिखाना चाहिए और हिंदुओं को बिना उनकी प्रतीक्षा किए नरेंद्र मोदी मोहन भागवत के साथ एकजुट हो जाना चाहिए। अतीक अहमद की कथा का तात्कालिक समाधान तो यही दिखता है।

7–सूचना का अधिकार –ब्लैकमेलिंग का अवसर

हम आरटीआई और अरविंद केजरीवाल के संबंधों की चर्चा कर रहे हैं। सूचना का अधिकार आंदोलन अरुणा राय ने शुरू किया था और अरविंद केजरीवाल इसके साथ जुड़ गए थे। भ्रष्टाचार नियंत्रण का यह एक अच्छा माध्यम माना गया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल अधिक चालाक निकले और उन्होंने सूचना के अधिकार आंदोलन के संबंध में विश्वस्तरीय पुरस्कार प्राप्त कर लिया। इस तरह अरविंद केजरीवाल आरटीआई आंदोलन की पहचान बन गए। लेकिन आरटीआई का कानून बन जाने के बाद भ्रष्टाचार में कुछ बढ़ोतरी ही दिखी। क्योंकि पहले जितना भ्रष्टाचार होता था उसमें आरटीआई कानून को व्यापार बनाने वाली टीम भी जुड़ गई और सबके बीच बँटवारा होने लगा। भ्रष्टाचार घटा या बढ़ा, यह कहना बहुत मुश्किल है। इसी बीच अरविंद केजरीवाल द्वारा सूचना के अधिकार के अंतर्गत

यूनिवर्सिटी से नरेंद्र मोदी की डिग्री की मांग की गई और मुख्य सूचना अधिकारियों ने यूनिवर्सिटी को डिग्री देने का आदेश दिया। यूनिवर्सिटी ने यह सूचना अकेले अरविंद केजरीवाल को न देकर सार्वजनिक कर दिया। जिसके खिलाफ अरविंद केजरीवाल 7 वर्ष पहले हाईकोर्ट चले गए। अब इतने वर्षों के बाद हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की मांग को अनावश्यक माना और सूचना अधिकार के प्रणेता अरविंद केजरीवाल पर 25000/– रूपए का अर्थदंड लगा दिया। हाईकोर्ट ने माना कि अरविंद केजरीवाल सूचना के अधिकार के अच्छे जानकार हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी है। उन्होंने सार्वजनिक जानकारी को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करने की कोशिश करके ब्लैकमेलिंग की कोशिश की है। उनकी नीयत ठीक नहीं थी। अब अरविंद केजरीवाल उस यूनिवर्सिटी से मोदी की डिग्री नहीं मांग रहे हैं। यद्यपि पागलों सरीखे मोदी के खिलाफ कुछ भी बोल रहे हैं। मेरे विचार से अरविंद केजरीवाल को जो अर्थदंड देकर यह चेतावनी दी गई है उसे गंभीरता से समझने की जरूरत है।

8–शिक्षा नहीं ज्ञान महत्वपूर्ण

अरविंद केजरीवाल ने एक बयान दिया है कि प्रधानमंत्री को हर हालत में उच्च शिक्षित होना चाहिए। यदि कोई प्रधानमंत्री अल्प शिक्षित होगा तो वह सफलतापूर्वक देश नहीं चला सकेगा। मैं अरविंद केजरीवाल के इस मत से पूरी तरह विपरीत हूँ। अब तक का अनुभव बताता है कि भारत में अल्प शिक्षित लोगों ने कम समस्याएं पैदा की है और उच्च शिक्षित लोगों ने ज्यादा। पहाड़ी या आदिवासी क्षेत्रों में शराफत की मात्रा अधिक है और शहरी क्षेत्रों में कम है। वैसे भी सामान्य लोगों की तुलना में शिक्षित लोग अधिक भ्रष्टाचार कर रहे हैं। सैद्धांतिक आधार पर भी लोकतंत्र में विधायिका और कार्यपालिका का समन्वित स्वरूप आवश्यक है। दोनों चेक एंड बैलेंस का काम करते हैं। सरकारी कर्मचारियों को उच्च शिक्षित होना ही चाहिए क्योंकि वे राजनेताओं द्वारा बनाई गई नीतियों का क्रियान्वयन करते रहते हैं। लेकिन राजनेता आमतौर पर नीतियां बनाते हैं। नीतियां बनाने में शिक्षा की अपेक्षा ज्ञान का महत्व अधिक है। आपकी नीयत अवश्य ठीक होनी चाहिए। यदि देश का आम नागरिक किसी अशिक्षित को प्रधानमंत्री बनाना चाहे तो क्या ऐसे अशिक्षित कबीरदास को नीति निर्माण से बाहर कर दिया जाएगा। वैसे तो अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी की तुलना में कई गुना अधिक शिक्षित है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के शिक्षामंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है। क्या उच्च शिक्षा ईमानदारी का मापदंड हो सकती है? मैं नहीं कह सकता कि मनीष सिसोदिया ने स्वयं भ्रष्टाचार किया या अरविंद केजरीवाल के जाल में फंसे गए। लेकिन न्यायालय में मनीष सिसोदिया पर जो गंभीर टिप्पणी की है वह तो अरविंद केजरीवाल के लिए चिंता की बात है। आरटीआई में अरुणा राय हमेशा दुःख व्यक्त करती रह गई। भ्रष्टाचार के विरोध आंदोलन में अन्ना हजारे अरविंद केजरीवाल के प्रति दुःख व्यक्त करते रह गए। हो सकता है कि भविष्य में मनीष सिसोदिया भी कोई रहस्य खोलें। लेकिन मैं अरविंद केजरीवाल की इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि नीति निर्माण बनाने

वाली इकाई को उच्च शिक्षित होना आवश्यक कर दिया जाए। शिक्षा ज्ञान का पर्यायवाची नहीं है, ज्ञान प्राप्ति में सहायक मानी जाती है।

9—देह व्यापार अनावश्यक मुद्दा

समाज व्यवस्था पर समाचार पत्र का बहुत प्रभाव पड़ता है। मैं पंजाब केसरी का महत्वपूर्ण प्रकाशन नवोदय टाइम्स पढ़ता हूँ। उसके संपादक विजय कुमार जी बहुत अच्छा लिखते हैं। मैंने उनका एक संपादकीय पढ़ा जो 1 अप्रैल 2023 के अंक में छपा है। उन्होंने भारत में बढ़ रहे देह व्यापार पर बहुत चिंता व्यक्त की है। उनके अनुसार भारत के होटलों, वैश्यालयों, स्पा सेंटर तथा अनेक घरों में बड़ी तेजी से महिलाएं देह व्यापार का अनैतिक धंधा कर रही है। जिस संबंध में पुलिस किसी न किसी कारण से आंख बंद कर लेती है। लेखक ने पूरे संपादकीय में अन्य प्रदेशों के पच्चीसों उदाहरण देकर अपने बातों को सिद्ध करने का प्रयास किया है। मैंने भी लेखक की चिंताओं पर ध्यान दिया, तो मुझे लगा कि इतने प्रतिष्ठित अखबार के इतने प्रतिष्ठित संपादक को देह व्यापार के बढ़ने पर इतनी अधिक चिंता क्यों हुई कि उन्होंने पुलिस तक को उसके लिए सावधान किया। दुनिया जानती है कि महिला और पुरुष के बीच में विपरीत आकर्षण स्वाभाविक है। यदि महिला और पुरुष के बीच दूरी घटेगी तो एक दूसरे के बीच अनैतिक संबंधों के प्रति आंख बंद करनी पड़ेगी। आग और बारूद की दूरी घटाकर आप खतरे को कम नहीं कर सकते। जब समाज महिला और पुरुष के बीच दूरी घटा रहा है तथा महिलाओं को सशक्त भी करना चाहता है, तब महिलाएं किसी मजबूरी में अपने शरीर का उपयोग करती है। इसमें कानून, सरकार अथवा समाचार पत्रों की चिंता क्यों होनी चाहिए? दुनिया जानती है कि महिलाएं पति के घरों में जाती है और महिलाएं अन्य व्यवसाय की तरह देह व्यापार को भी एक माध्यम मानती है।यदि देह व्यापार महिलाओं की सहमति से होता है तो बलात्कार नहीं है। हमारे जिम्मेदार लेखकों को इस प्रकार की मजबूरी दूर करने का उपाय खोजना चाहिए न कि देह व्यापार रोकने के लिए पुलिस और कानून को प्रोत्साहित करना चाहिये। विजय कुमार जी पंजाब क्षेत्र में बढ़ते हुए आतंकवाद को भी देख रहे हैं, देशभर में फैल रहे नक्सलवाद को भी देख रहे हैं। यहां तक कि व्यापारिक क्षेत्रों में बढ़ती हुई मिलावट और जालसाजी का उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव है। इस प्रकार की अनेक चिंताओं पर संपादकीय न लिखकर देह व्यापार जैसे अनावश्यक मुद्दे को इतना महत्वपूर्ण बनाना मेरी नजर में उचित नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि सरकार महिला और पुरुष के बीच भेद करने वाले सभी कानून खत्म कर दें। आपसी सहमति से यदि कोई बार बाला डांस दिखाती है तो इस पर सरकार का हस्तक्षेप पूरी तरह अनावश्यक है। मेरा विजय कुमार जी से निवेदन है कि वह इस प्रकार के अनावश्यक मामलों से बचें।

10—भ्रष्टाचार पर विपक्षी एकजुटता चिंतनीय

पूरे देश भर में सीबीआई और ईडी मिलकर भ्रष्ट विपक्षी नेताओं को जेल में डाल रही हैं। कुछ कलेक्टर रैंक के अफसर भी जेलों में बंद है। मुझे व्यक्तिगत रूप से भी जानकारी है कि सभी छापे यथार्थ के आधार पर डाले गए हैं। इस प्रकार की

कार्यवाही तो बहुत पहले ही होनी चाहिए थी। इस प्रकार के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान से विपक्ष के बड़े–बड़े नेता विचलित हो गए। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे सहित अनेक विपक्षी नेताओं के कदम भी इन छापों से प्रभावित हुए। सबने आपसी टकराव छोड़कर एकजुट होना आवश्यक समझा। सभी विपक्षी दलों में बहुत बड़े–बड़े नामी वकील भी मौजूद हैं। विपक्षी दलों को ऐसा आभास भी हुआ था कि भारत सरकार और सर्वोच्च न्यायालय के संबंध मधुर नहीं है। यही सोचकर 14 विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में यह मांग की कि इस प्रकार के छापों में पक्षपात हो रहा है। विपक्षी नेताओं के अनुसार जान–बूझकर विपक्ष को परेशान किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने विपक्षी दलों की यह मांग सुनने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि विपक्ष चुनाव में कमजोर पड़ रहा है तो कमजोरी का समाधान जनता के बीच हो सकता है, न्यायालय से नहीं।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से विपक्षी एकता को बहुत चोट लगी है। मैं तो बहुत पहले से यह मानता था कि नरेंद्र मोदी पूरी ईमानदारी से भ्रष्ट नेताओं को जेलों में बंद कर रहे हैं। इसके बाद भी विपक्ष के नेताओं ने जल्दबाजी में सुप्रीम कोर्ट जाकर अपना रहा–सहा नैतिक आधार भी खो दिया है। विपक्षी दलों के पास अपने भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने का अवसर भी समाप्त हो गया है। ऐसा लगता है कि अगला चुनाव आने के पूर्व अनेक बड़े विपक्षी नेता भी जेलों में जा सकते हैं। भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्यवाही लगातार जारी रहनी चाहिए।

11–महिलाओं को विशेष अधिकार बनरहा उनका दुश्मन

अभी कुछ दिन पहले ही एक एक्ट्रेस महिला कलाकार ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उसका प्रेमी उसे साथ रखने के लिए तैयार नहीं था। इस प्रकार की कई महिलाएं आत्महत्या कर चुकी है। कुछ दिन पहले ही ऐसी आत्महत्या के लिए शीजान नामक युवक को जेल में बंद किया गया। प्रश्न उठता है कि इस प्रकार की अर्ध–संपन्न महिलाएं आत्महत्या करती है और गरीब महिलाएं भले ही भूखी रह जाए, लेकिन आत्महत्या नहीं करती। इस प्रकार विशेषकर कलाकार महिलाओं की आत्महत्या के पीछे भी कुछ रहस्य छिपा होता है। ऐसी अनेक महिलाएं अपने शरीर दान के माध्यम से सामान्य से अधिक तेज गति से आगे बढ़ना चाहती है और जब उन्हें अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाती, तब आत्महत्या करती है। आत्महत्याओं का परिणाम ऐसी महिलाओं को पहले से मालूम रहता है कि उसकी आत्महत्या के आधार पर कई लोग जेल जाएंगे। इसलिए ऐसी महिलाएं हत्या को भी अपने ब्लैकमेलिंग का आधार बनाती है। यदि किसी युवक ने कुछ दिनों तक किसी महिला से शारीरिक संबंध बना लिए और बाद में वह साथ नहीं रहना चाहता तो इसमें अपराध कहां से हो गया। लेकिन यदि ऐसा व्यक्ति उक्त महिला से दूर होने की कोशिश करें तब भी कानून उसे अपराधी मानता है। इस प्रकार के विशेषाधिकार महिलाओं को दिए गए हैं। जिनके आधार पर महिलाएं आत्महत्या का डर दिखाती है तथा ब्लैकमेलिंग करती है। आत्महत्या के आधार पर किसी दूसरे को अपराधी मानने के लिए कानून पूरी तरह गलत है। महिलाओं को अनेक मामलों में समान अधिकार देकर कुछ दूसरे मामलों में

विशेष अधिकार देना धूर्त राजनेताओं का षड्यंत्र है। इन धूर्त राजनेताओं में महिला और पुरुष की समान भागीदारी है। मेरे विचार से महिलाओं को विशेष अधिकार देने की कोई आवश्यकता नहीं है और समान अधिकार से वंचित करना भी ठीक नहीं है। कानून में महिला हो या पुरुष सबको समान अधिकार दिया जाना चाहिए। समाज की अनेक समस्याओं का समाधान समान नागरिक संहिता में निहित है।

12–मुसलमानों कि हिंसा का समाधान हिंसक हिन्दु नहीं

गाय और शेर की प्रवृत्ति अलग–अलग होती है। दोनों ही पशु है लेकिन दोनों की रूचि और कार्यप्रणाली अलग–अलग है। गाय को आप आसानी से शेर के समान आक्रामक नहीं बना सकते और शेर को भी शाकाहारी बनाना बहुत आसान नहीं है। गाय को आक्रामक बनाने के लिए शेर को पिंजरे में बंद करना पड़ेगा और शेर को अहिंसक बनाने के लिए शेर के मन में भय पैदा करना होगा। भारत में हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच गाय और शेर का प्रयोग लंबे समय से चल रहा है। जिन लोगों ने भी मुसलमानों के मन में राज्य का भय पैदा न करके हिंदुओं को आक्रामक बनाने की कोशिश की वे सब कोशिश असफल हुई। दूसरी ओर जिन लोगों ने भी मुसलमानों को सामाजिक बनाने की कोशिश की वो कोशिश भी असफल हुई। कल ही मेरठ जिले में मलियाना गांव का उदाहरण सामने आया। जहां 36 वर्ष पूर्व मेरठ जिले के कई गांवों के मुसलमान दंगा करके हिंदूओं को मार रहे थे। डर से हिंदू लोग छिप गए थे तब पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने मोर्चा संभाला। उन्होंने हाशिमपुरा और मलियाना गांव में चुन–चुन कर सैकड़ों मुसलमानों की हत्या कर दी। पूरे मेरठ जिले में उसका तुरंत प्रभाव पड़ा और सारे हिंदू–मुस्लिम दंगे बंद हो गए। स्पष्ट है कि हिंदू बहुसंख्यक होते हुए भी कमजोर पड़ा और मुसलमान ताकतवर होते हुए भी पुलिस और सेना के सामने चुप हो गया। कश्मीर में लगातार पत्थरबाजी हो रही थी। लेकिन धारा 370 हटने के बाद जब पुलिस और सेना ने मोर्चा संभाला तो पत्थरबाजों का हृदय परिवर्तन हो गया। शेर को आप समझा–बुझाकर आक्रमण से नहीं रोक सकते। संख्या बल के आधार पर भी आप मुस्लिम आक्रमण को नहीं झेल सकते क्योंकि दोनों संस्कृतियों में मूलभूत अंतर है। लेकिन कानूनों में बदलाव करके आप इस प्रकार के उद्दंड मुसलमानों को गाय के समान अहिंसक बना सकते हैं। मैं मुसलमानों के विरुद्ध हिंदू एकता का पक्षधर न कभी पहले था और न अब हूँ। पुलिस और सेना पर विश्वास प्रकट करने के बाद ही दुनिया में मुसलमानों को सीधा चलना सिखाया जा सकता है। अभी–अभी चार–पांच वर्ष पहले भी दिल्ली में ऐसी ही घटना हुई थी। वहां भी अंत में अर्धसैनिक बलों ने ही मोर्चा संभाला था। मुसलमानों की लिए यह उचित होगा कि वे भारत में फिर से हाशिमपुरा और मलियाना की पुनरावृत्ति को आमंत्रित न करें। अब हिंदू मुस्लिमों की पत्थरबाजी का सीधा मुकाबला न करके पुलिस और सेना के बल पर विश्वास करने लगा है। अब न्यायपालिका में भी सार्थक बदलाव दिख रहा है। बंगाल और बिहार में रामनवमीं के अवसर पर जो भी हुआ वह बहुत दुःखद है। बिहार और बंगाल के मुसलमानों को यह बात समझ लेनी चाहिए

कि ममता बनर्जी और नीतीश कुमार की सरकारें बहुत लंबे समय तक उनकी सुरक्षा नहीं कर पाएगी। मुसलमानों को अपने हिंसक स्वभाव में तो बदलाव करना ही होगा। यदि खुद से नहीं समझेंगे तो मलियाना और हाशिमपुरा की घटनाएं उन्हें कानून का पालन करने के लिए सबक सिखा देगी। हम हिंदुओं को चाहिए कि हम सरकार के पक्ष में एकजुट रहें और कानून पर भरोसा करें।

13–सामाजिक प्रयोग की भुमि ''रामानुजगंज''

रामानुजगंज मेरा जन्म स्थान है और कार्यक्षेत्र भी। रामानुजगंज में ही अनेक राजनैतिक, सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए नए–नए प्रयोग हुए हैं। अभी कुछ दिनों पूर्व रामानुजगंज के तेजतर्रार कांग्रेसी विधायक बृहस्पति सिंह ने बैंक कर्मचारी को गलत मानकर चार–पांच झापड़ पीट दिया। कर्मचारियों ने हड़ताल कर दीतो दूसरी ओर आम जनता के भी कुछ लोग विधायक के पक्ष में खड़े हो गए। विधायक ने भी यह घोषणा की कि यदि कोई कर्मचारी नागरिकों के साथ अन्याय करेगा तो उसका विरोध तो किया ही जाएगा। इस प्रकार दोनों पक्ष आमने–सामने आ गए। यह सच है कि भारत में सरकारी कर्मचारी आमतौर पर भ्रष्टाचार और अत्याचार करते हैं। किंतु साथ में यह भी सच है कि सारे भ्रष्टाचार और अत्याचार में राजनेताओं का भी हिस्सा रहता है। इस तरह दोनों पक्ष मिलजुलकर भ्रष्टाचार करते हैं। यह पहली बार हो रहा है कि राजनैतिक नेता और सरकारी कर्मचारी एक–दूसरे के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं। वर्तमान परिस्थिति कुछ इसलिए भी भिन्न है कि इस जिले में पूर्व विधायक रामविचार का भी खासा प्रभाव है और सत्ता पक्ष के टी एस सिंह का भी बहुत प्रभाव है जिनका बृहस्पति सिंह से छत्तीस का आंकड़ा है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी का भी एक मजबूत धड़ा बृहस्पति सिंह के साथ खड़ा है। सरकारी कर्मचारी सही है या विधायक, यह मेरा विषय नहीं है। लेकिन इस टकराव ने मुख्यमंत्री के सामने एक दुविधा पैदा कर दी है कि वे क्या करें? मुख्यमंत्री ने सरगुजा दौरे में यह बात कही भी है कि इस मामले को बातचीत के द्वारा तत्काल सुलझा लेना चाहिए। लेकिन कोई भी पक्ष कभी झुकने को तैयार नहीं है। मैं इस टकराव को जनहित में मानता हूँ। मेरा विचार है कि सरकारी कर्मचारियों और राजनेताओं का मिला–जुला भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं टकराव में बदलना चाहिए। रामानुजगंज इसकी शुरुआत कर रहा है।

लोक स्वराज्य पर गहरे घाव

हिन्दुत्व पर घात

भारत ने स्वतंत्रता की जो लड़ाई लड़ी उसमें हिंदुत्व की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी, आर्य समाज और सावरकर सबका महत्वपूर्ण योगदान रहा। हिंदुत्व की दृष्टि में तीनों के अलग–अलग विचार थे। लेकिन स्वतंत्रता की लड़ाई में तीनों अपने–अपने तरीके से हिंदुत्व को शामिल करते थे। गांधी गुण प्रधान हिंदुत्व के पक्षधर थे तो सावरकर संगठन प्रधान हिंदुत्व के और आर्य समाज कुरीति मुक्त हिंदुत्व का पक्षधर था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद गांधी, सावरकर तथा आर्य समाज

लगभग किनारे हो गए और दो ऐसे लोग सामने आ गए जिन्हें गुण प्रधान हिंदुत्व से भी नफरत थी और संगठन प्रधान हिंदुत्व से भी। अंबेडकर तो शुरु से ही हिंदुत्व विरोधी थे और नेहरू अन्दर ही अन्दर हिंदुत्व से नफरत करते थे। स्वतंत्रता के बाद नेहरू और अंबेडकर ने हिंदुत्व को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया। अंबेडकर ने हिंदुत्व के संगठित स्वरूप को तोड़ा और अप्रत्यक्ष रूप से इस्लाम की मदद की। नेहरू पश्चिम की विचारधारा और वामपंथ के साथ खिचड़ी बनाकर खुलकर मुसलमानों का साथ दे रहे थे। नेहरू और अंबेडकर ने अलग–अलग तरीके से हिंदुत्व को जड़ से समाप्त करने का प्रयत्न किया। भविष्य में जब भी भारत का लोकतांत्रिक इतिहास लिखा जाएगा तो नेहरु और अंबेडकर का नामहिन्दुत्व को कमजोर करने के लिए काले अक्षरों में अवश्य ही लिखना चाहिए। जिस तरह भारत से आतंकवादी मुस्लिम शासकों का नाम मिटाया जा रहा है,हो सकता है कि इन लोगों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार होगा।

विभाजन के दोषी

हम पंडित नेहरू और अंबेडकर की कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। गांधी सामाजिक स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे तो नेहरु और अंबेडकर सत्ता की लड़ाई लड़ रहे थे। अंबेडकर को स्वतंत्रता से कोई लेना–देना नहीं था लेकिन नेहरू तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता को अपनी सत्ता प्राप्ति का हथियार बना रहे थे। इन लोगों ने गांधी को धोखा दिया। गांधी से बिना बताए ये लोग चुपके–चुपके अंग्रेजों से भी बात करते थे। लेकिन जब विभाजन का समय आया तब इन लोगों ने चुपचाप बिना किसी विवाद के विभाजन स्वीकार कर लिया। विभाजन के विरोध में तो सरदार पटेल ने भी कभी आवाज नहीं उठाई क्योंकि वह भी सत्ता प्राप्ति की जल्दबाजी में थे। इन दोनों ने गांधी के साथ बहुत गद्दारी की। गांधी हत्या के बाद उचित होता कि नेहरू, पटेल, अंबेडकर विभाजन के मामले में जनता को सच्चाई बता देते लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई और इन तीनों ने षड्यंत्र करके विभाजन का सारा दोष गांधी पर डाल दिया। गांधी के साथ इतना बड़ा अत्याचार इन राजनेताओं ने सिर्फ इसलिए किया कि इन्हें राजनैतिक सत्ता चाहिए थी।इन्हें राष्ट्र, देश या समाज से तो बिल्कुल भी मतलब नहीं था। सत्ता के लिए नेहरू और अंबेडकर ने जिस तरह की लड़ाई लड़ी वह कोई साधारण बात नहीं है। इन लोगों ने गांधी के साथ केवल नैतिक रूप से धोखा नहीं किया बल्कि गांधी के लोक स्वराज्य के बिल्कुल विपरीत आचरण भी करते रहे और अपने को गांधी परिवार का भी बताते रहे। मैं वास्तव में नेहरू परिवार और अंबेडकर से नफरत करने लगा हूँ।

गांधी हत्या और गोडसे

गांधी की तो हत्या गोडसे ने की यह सर्वविदित है। यह भी स्पष्ट है कि गोडसे स्वयं संचालक नहीं था बल्कि किसी विचारधारा से संचालित था। गोडसे पूरी तरह देश भक्त था और मूर्ख था। गांधी की हत्या में न कोई हिंदू मुसलमान का मामला था न ही भारत–पाकिस्तान का। क्योंकि 1935 से ही गांधी को किनारे करने के गंभीर प्रयत्न शुरू हो गये थे। गांधी हत्या का यह कोई पहला प्रयास नहीं था।

स्वतंत्रता संघर्ष में सभी राजनैतिक नेता गांधी विचारों के विरुद्ध थे। क्योंकि गांधी लोक स्वराज्य के पक्षधर थे और सभी नेता राष्ट्रीय स्वतंत्रता तक सीमित रहना चाहते थे। गांधी हत्या का मुख्य कारण गांधी का स्वराज्य संबंधी विचार था न कि पाकिस्तान या हिंदू मुसलमान। गोडसे अन्य किसी नेता की तुलना में अधिक चरित्रवान था, अधिक देशभक्त था लेकिन उनमें समझदारी का अभाव था। इसलिए गोडसे राजनैतिक टकराव के जाल में उलझ गया। गोडसे की एक मूर्खता ने नेहरू, अंबेडकर का रास्ता साफ कर दिया। गोडसे की एक मूर्खता ने हिंदुत्व विचारधारा को बहुत पीछे धकेल दिया। गोडसे की एक मूर्खता ने लोक स्वराज्य के विचार को प्रारंभ में ही सुखा दिया। लेकिन यह पूरी तरह सच है कि यदि गोडसे सावरकर की तुलना में गांधी विचारों के साथ शुरू से जुड़ा होता तो गोडसे बिनोवा भावे से भी आगे निकल सकता था।

मैं मानता हूँ कि गांधी हत्या के लिए दंडित तो गोडसे ही होगा, लेकिन गांधी हत्या के लिए वास्तविक दोषी वह विचारधारा है जो लोक स्वराज्य की जगह लोकतंत्र को स्थापित करती है। जो विचारधारा नेहरू, अंबेडकर, सावरकर, जिन्ना और सरदार पटेल चला रहे थे। सच्चाई यह है कि अब हमें गांधी हत्या के वास्तविक कारण पर विचार करना चाहिए। आज भी गांधी विचारों के हत्यारे गांधी नाम की दुकानदारी तो कर रहे हैं लेकिन लोक स्वराज्य पर कोई चर्चा नहीं करना चाहते।

गांधी विचारों पर हो चर्चा

नेहरू, अंबेडकर, सावरकर और सरदार पटेल पर इतनी चर्चा करने के बाद भीइस प्रश्न का कहीं उत्तर नहीं मिला कि गांधी के विरुद्ध सारे नेता क्यों थे?और दूसरा यह कि इनमें से एक भी नेता गांधी को पसंद क्यों नहीं करते थे। कुछ लोग तो गांधी का प्रत्यक्ष विरोध करते थे और कुछ लोग गुप्त रूप से गांधी का विरोध करते थे लेकिन गांधी विचारधारा का समर्थक एक नेता भी नहीं था। भारत के राजनेता कई मामलों में विभाजित थे। सावरकर की अलग सोच नेहरू की अलग सोच थी। पटेल और अंबेडकर भी अलग–अलग सोचते थे। राजेंद्र बाबू कुछ अलग ही सोचते थे। लेकिन गांधी के विरोध में सारे नेता एकजुट हो जाते थे क्योंकि गांधी का विचार किसी को पसंद नहीं था। गांधी सत्ता का अकेंद्रीकरण चाहते थे यह विचार किसी नेता को पसंद नहीं था। एक भी ऐसे नेता नहीं जो गांधी के विचारों को पसंद करता हो। गांधी ने तो संसदीय लोकतंत्र को भी बांझ और वैश्या कह दिया था क्योंकि गांधी लोकतंत्र के नहीं लोक स्वराज्य के पक्षधर थे। गांधी ने लोकतंत्र की परिभाषा यह दी थी कि लोकतंत्रलोक नियंत्रित तंत्र होना चाहिए। स्वतंत्रता के 75 साल बाद भी आज तक गांधी की इस परिभाषा पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि हम लोग इस विषय पर गंभीरता से अवश्य सोचें।

अम्बेडकर के षणयंत्र

अंबेडकर बहुत बड़े बुद्धिजीवी तथा एक सत्ता लोलुप व्यक्ति थे। इन्हें न तो सवर्णों से कोई भेद था और न ही आदिवासी अवर्णों से प्रेम। पहले इन्होंने मुसलमान बनने की इच्छा व्यक्त की थी जिसे गांधी ने रोक दिया था। बाद में इन्होंने सत्ता के लिए

आदिवासी, हरिजन, महिला एकीकरण का नाटक किया जो अंत समय तक जारी रहा। अंबेडकर ने जीवन भर बुद्धिजीवियों का साथ दिया और श्रमजीवियों के साथ हमेशा छल करते रहे। स्पष्ट है कि उस समय से लेकर आज तक राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था में श्रमजीवियों की भूमिका शुन्यवत् होती है और बुद्धिजीवी श्रम शोषण के नए–नए तरीके खोजता है। स्वतंत्रता के पूर्व भारत में जो जातीय आरक्षण था वह सवर्ण बुद्धिजीवियों के पक्ष में था। लेकिन श्रम शोषण के सिद्धांत के कारण आज भी भारत के संपूर्ण राजनैतिक, आर्थिक, संवैधानिक व्यवस्था पर बुद्धिजीवियों तथा पूँजीपतियों का ही एकाधिकार है। अंबेडकर ने जिस सामाजिक आरक्षण की व्यवस्था की है वह भी अप्रत्यक्ष रूप से श्रम शोषण का सिद्धांत है। गरीब, ग्रामीण, श्रमजीवी, कृषि उत्पादक आदि से टैक्स लेकर सरकारी कर्मचारियों एवं नेताओं को वेतन भत्ते एवं सुविधाएं दिये जाएं, यह व्यवस्था पूरी तरह घातक है। इसलिए श्रम का सम्मान बढ़ाना चाहिए, श्रम की मांग भी बढ़नी चाहिए तथा श्रम का मूल्य भी बढ़ना चाहिए। यही एक मात्र न्यायसंगत समाधान है। श्रमजीवियों से टैक्स वसूल करके वह धन शिक्षा पर खर्च करना बुद्धिजीवियों का अनोखा षड्यंत्र हैजिस सामाजिक पाप में अंबेडकर की भूमिका सबसे अधिक है। अंबेडकर ने श्रम के साथ इतना बड़ा धोखा करके बुद्धिजीवियों के पक्ष में कानून बनाए, पक्षपातपूर्ण है। अंबेडकर ने परिवार व्यवस्था और गांव व्यवस्था को संविधान से बाहर करके जाति संप्रदाय को संविधान में प्रमुख मान्यता दी, इसके लिए भीमराव अंबेडकर की निंदा करनी चाहिए। आज भी भारत का हर बुद्धिजीवी अंबेडकर को भगवान के सरीखे मानता है क्योंकि अंबेडकर में बुद्धिजीवियों को श्रम शोषण का संवैधानिक तथा कानूनी अधिकार दे दिया है। गरीब, ग्रामीण, श्रमजीवी पर से लगने वाले सभी टैक्स समाप्त कर दिए जाएं और श्रम का मूल्य बढ़ने दिया जाए। उसे रोककर ना रखा जाए। तब किसी प्रकार की जातिगत आरक्षण का कोई महत्त्व नहीं रह जाएगा। मेरा सुझाव है कि अंबेडकर की कुटिल नीतियों का समाज में पर्दाफाश होना चाहिए।

संस्कृति और परम्पराएं

– लेखक संजय तांती

संस्कृति किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, पूरे समाज की मानी जाती है। समाज जैसा होता है, उसकी झलक वहां की संस्कृति में साफ–साफ दिखाई देता है। संस्कृति किसी समाज का दर्पण होती है।

किसी संस्कृति का निर्माण एक दिन का परिणाम नहीं होता है बल्कि संस्कृति निर्माण एक दीर्घकालीन प्रक्रिया का परिणाम होता है। व्यक्ति जब बिना विचारे कोई कार्य बार–बार करने लगता है तो वह उसकी आदत बन जाती है और यही आदत जब लंबे समय तक अनवरत चलती रहे तो वह आदत ही उस इकाई का संस्कार बन जाती है और यही संस्कार किसी खास क्षेत्र विशेष के लोगों में जब आमतौर पर पाई जाने लगे तो वह उस इकाई की संस्कृति कही जाती है। क्षेत्र

विशेष की भौगोलिक स्थितियां, आर्थिक दशाएं भी संस्कृति निर्माण में सहायक होती हैं एवं इसका वहां की संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए लोग स्थानीय भाषा, वेशभूषा, रहन–सहन, खानपान, लोगों के पारस्परिक संबंध, जन्म, विवाह और मृत्यु आदि के संस्कार को भी वहां की संस्कृति से जोड़कर देखते हैं, जो गलत नहीं है।

धर्म सिर्फ गुण प्रधान होता है। लेकिन वहां की संस्कृति भी गुण प्रधान हो, यह आवश्यक नहीं है। यह कहना कठिन है कि संस्कृति किस दिशा में आगे बढ़ेगी? संस्कृति सामाजिक दिशा में आगे बढ़ सकती है और असामाजिक अथवा समाज विरोधी दिशा में भी आगे बढ़ जा सकती है।

वर्तमान बाजारवाद के दौर में दुनिया की मुख्य संस्कृतियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा है, उनमें आपसी टकराव बढ़े हैं। अपनी–अपनी संस्कृति की श्रेष्ठता को स्थापित करने की होड़ मची है जिसके परिणामस्वरूप समाज के टुकड़े–टुकड़े हुए जा रहे हैं।

अब तक दुनिया में मुख्य रूप से चार महत्वपूर्ण संस्कृतियां विकसित हुई हैं जिनके बीच अनेक विभिन्नताएं हैं। भारतीय अथवा हिंदू संस्कृति, पाश्चात्य या ईसाई संस्कृति, मुस्लिम संस्कृति एवं साम्यवादी संस्कृति, जिनकी कुछ विशेषताओं में हम बड़ा अंतर पाते हैं। प्रत्येक संस्कृति का विकास कुछ खास गुणों को लेकर हुआ है। भारतीय संस्कृति में समाज को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। परिवार, कुटुंब–कबीले आदि कोई भी अन्य संगठन समाज से नीचे है। जबकि पश्चिमी संस्कृति में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सबसे ऊपर माना गया है, इसमें व्यक्ति ही सर्वोपरि है। इसके ऊपर ना परिवार है और ना समाज। मुस्लिम संस्कृति में अपने संगठन या धर्म को सबसे अधिक महत्व दिया गया है, व्यक्ति या समाज को नहीं। साम्यवादी संस्कृति में राज्य सर्वशक्तिमान होता है, यहां व्यक्ति, धर्म अथवा समाज का स्थान राज्य से नीचे है।

व्यक्ति के मौलिक अधिकार के संबंध में भी इन संस्कृतियों की मान्यताओं में बहुत अंतर है। भारतीय संस्कृति में व्यक्ति को मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं, किंतु समाज के साथ जुड़ कर रहना व्यक्ति के लिए अनिवार्य है अर्थात् भारतीय संस्कृति सह–अस्तित्व और सहजीवन के भाव को स्वीकारता है जबकि पश्चिम की संस्कृति में व्यक्ति को मौलिक अधिकार तो प्राप्त होते हैं लेकिन वह अकेला भी रह सकता है, ऐसी अवस्था में व्यक्ति के उच्श्रृंखल होने का खतरा अधिक होता है। चूंकि मुस्लिम संस्कृति में व्यक्ति को धार्मिक संपत्ति माना जाता है इसलिए उनके मौलिक अधिकार नहीं होते हैं। व्यक्ति को धार्मिक संपत्ति मानकर ही संख्या विस्तार पर अधिक जोर दिया जाता है, व्यक्ति के गुण विस्तार पर नहीं। साम्यवादी संस्कृति में व्यक्ति के मौलिक अधिकार नहीं होते हैं और वह राष्ट्रीय संपत्ति माने जाते हैं।

प्रवृत्तियों के आधार पर भी इन संस्कृतियों के बीच बड़ा अंतर स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। भारतीय संस्कृति वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था की विशेषताओं के साथ अन्य तीनों संस्कृतियों से बहुत अलग है। चूंकि भारतीय संस्कृति में व्यक्ति के लिए समाज में किसी के साथ जुड़कर रहना अनिवार्य है,

इसलिए इनके अधिकार संयुक्त होते हैं। भारतीय संस्कृति में साम अर्थात समझौता को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। पश्चिमी संस्कृति दाम अर्थात भौतिक द्रव्य पर निर्भर करती है। इस्लामिक संस्कृति दंड व्यवस्था को सबसे अधिक महत्व देती है तो साम्यवादी संस्कृति साम, दाम, दंड की जगह भेद को अपने अस्तित्व का प्रमुख आधार बनाती है। साम्यवादी संस्कृति समाज को वर्ग भेद के आधार पर बांटती है क्योंकि अस्तित्व रक्षा के लिए वर्ग संघर्ष ही उसका मुख्य आधार है। इस प्रकार वर्ण व्यवस्था व आश्रम व्यवस्था की मान्यता होने के कारण भारतीय संस्कृति ब्राह्मण संस्कृति मानी जानी चाहिए, क्योंकि हम ज्ञान को सर्वोच्च स्थान देते हैं। विचार मंथन द्वारा सामाजिक निष्कर्ष निकालना, उन्हें समाज तक पहुंचाना भारतीय संस्कृति का लक्ष्य होता है। वैसे देखा जाए तो मुस्लिम संस्कृति अप्रत्यक्ष रूप से क्षत्रिय संस्कृति है क्योंकि दंड व्यवस्था और संगठन शक्ति के बल पर आगे बढ़ना इनका निर्धारित लक्ष्य होता है। पाश्चात्य संस्कृति को वैश्य संस्कृति भी कहा गया है। यह सेवा, सद्भाव, लोभ–लालच, आर्थिक लेनदेन के आधार पर संख्या विस्तार व प्रभाव विस्तार को प्रधानता देती है। चुंकि समाज में वर्ग–भेद और वर्ग–संघर्ष ही साम्यवाद के अस्तित्व का आधार है जिसके कारण समाज में वर्ग–विद्वेष कभी भी खत्म नहीं हो सकता इसलिए साम्यवादी संस्कृति को क्षुद्र संस्कृति भी कह सकते हैं।

दुनिया की इन तमाम संस्कृतियों में एक समानता देखने को मिलती है कि कोई भी संस्कृति अपनी मान्यताओं और परंपराओं पर हस्तक्षेप या प्रश्नचिन्ह बर्दाश्त नहीं कर सकती है। साम्यवादी संस्कृति में राज्य सर्वोच्च है, मुस्लिम संस्कृति में धर्म सर्वोच्च है, पाश्चात्य संस्कृति में व्यक्ति की स्वतंत्रता का माहात्म्य है। लेकिन यह तीनों संस्कृतियों की मान्यता समाज को एक अलग ही दिशा की ओर ले कर जाती है। 'धर्म सर्वोच्च है', 'राज्य सर्वोच्च है' की मान्यता समाज को तानाशाही की दिशा में ले जाती है जबकि 'व्यक्ति सर्वोच्च है' की मान्यता अति मानवतावाद की ओर बढ़ जाती है। परिणामस्वरूप पश्चिमी संस्कृति में एक निरपराध को बचाने के लिए सौ अपराधियों को भी छोड़ दिया जाता है और इस्लाम एवं साम्यवाद की संस्कृति में 'सौ अपराधियों को भले ही दंडित करना पड़े, पर एक भी अपराधी बचना नहीं चाहिए' की मान्यता स्थापित है।

भारतीय संस्कृति इन तीनों की अपेक्षा अधिक लचीली है। यहां 'समाज को सर्वोच्च' माना गया है बाकी अन्य तंत्र अथवा राज्य समाज के सहायक हैं और धर्म समाज का मार्गदर्शक। अतः हम पाते हैं कि दुनिया में भारतीय संस्कृति एक अकेली ऐसी संस्कृति है जो समय–समय पर समाज विज्ञान की दिशा में खोज करने की पहल करती है। समाज व्यवस्था पर नूतन विचार रखती है। नित्य नूतन प्रयोग का स्वागत करती है। भारतीय संस्कृति कूप–मंडूक नहीं है। पश्चिम संस्कृति भौतिक विकास के मामलों में आगे बढ़ता है, सामाजिक मामलों में नहीं। साम्यवादी संस्कृति भौतिक मामलों में जरूर आगे बढ़ता है लेकिन उसकी भी कोई मजबूत सामाजिक पकड़ नहीं होती है।जबकि इस्लामी संस्कृति धर्म के नाम पर समाज को एकजुट रखता है, परिवार, कबीले को जोड़े रखता है और धर्म की सर्वोच्चता को लक्ष्य

मानकर संख्या विस्तार एवं प्रभाव विस्तार की ओर अग्रसर रहता है।

इन सब में भारतीय संस्कृति सबसे प्राचीन मानी जाती है। ऋषि (प्राकृतिक वैज्ञानिक) परंपरा से प्रारंभ होकर भारतीय संस्कृति एक नदी के समान हमेशा आगे बढ़ती रही है, जिसमें समय–समय पर इस नदी तट पर बैठकर अनेकों चिंतकों, विचारकों, महानुभावों ने समाज को सुंदर वर्ग समन्वय के निष्कर्ष अर्पित किए हैं।

पाश्चात्य संस्कृति पर यीशु मसीह के जीवन और उपदेश का प्रभाव है, इस्लामिक संस्कृति पर मोहम्मद साहब के जीवन और उपदेश का प्रभाव है तो साम्यवादी संस्कृति कार्लमार्क्सके नाम पर उनके दिए सिद्धांतों पर पली–बढ़ी है। भारतीय संस्कृति किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर नहीं चलती है। भारतीय संस्कृति का मूल तत्व है क्षमता और योग्यता अनुसार वर्ण व्यवस्था का निर्धारण और आश्रम व्यवस्था का पालन। अन्य किसी संस्कृति में वर्ण अथवा आश्रम व्यवस्था का कोई स्थान और महत्व नहीं है। भारतीय संस्कृति व्यक्तित्व के विकास का व्यापक दायरा उपलब्ध कराती है जबकि अन्य संस्कृति सह–अस्तित्व और सहजीवन के बिना कूपमंडुकता की स्थिति में है।

भारतीय संस्कृति हिंसा और अहिंसा के संतुलन पर विश्वास करती है। पश्चिम की संस्कृति अहिंसा को और मुस्लिम संस्कृति हिंसा को अधिक महत्व देती है। साम्यवादी संस्कृति राजकीय एकतरफा दमन नीति को अनिवार्य मानती है। भारतीय संस्कृति संयुक्त परिवार व्यवस्था को अनिवार्य मानती है। बेशक भारतीय संस्कृति में व्यक्ति को व्यक्तिगत असीमित स्वतंत्रता दी गई है लेकिन इसका भी इतना अच्छा संतुलन बनाया गया है कि व्यक्ति किसी हालत में उच्छृंखल ना हो जाए। अतः व्यक्ति को समाज में किसी अन्य के साथ जुड़कर रहना अनिवार्य माना गया है।

भारत की धरती पर अनेक विदेशी संस्कृतियों का आगमन हुआ और सब ने अपनी–अपनी छाप छोड़ी। समाज के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न संस्कृतियों की कुछ खासियतें होती हैं। मुस्लिम संस्कृति कठोर सामाजिक दंड व्यवस्था को लेकर चलती है और सामाजिक हस्तक्षेप भी स्वीकारती है। पश्चिम की संस्कृति में राज्यकृत व्यवस्था मान्य है लेकिन सामाजिक दंड और सामाजिक बहिष्कार अमान्य है। साम्यवादी संस्कृति में सामाजिक, आर्थिक वर्ग भेद पर आधारित समाज का संचालन राज्य द्वारा निर्धारित एवं नियंत्रित होता है। जहां मुस्लिम संस्कृति सामाजिक बहिष्कार के साथ–साथ सामाजिक दंड को भी महत्वपूर्ण मानती है, वहीं पश्चिम की संस्कृति दंड के साथ–साथ सामाजिक बहिष्कार को भी अमान्य करती है।

स्वतंत्रता प्राप्ति तक भारतीय संस्कृति अपनी मूल स्वरूप से दूर हट कर इस्लाम, पश्चिम और साम्यवाद की संस्कृति से इस कदर तेजी से प्रभावित हो रही है कि यह एक अलग ही तरीके की खिचड़ी संस्कृति के रूप में विकसित होने लगी है। आज समाज में तीन पीढ़ी के व्यक्ति की सोच–समझ और संस्कारों में अंतर आप

आसानी से कर सकते हैं। खाप पंचायतों का सामाजिक अपराध के लिए दंड व्यवस्था राज्य की व्यवस्था में हस्तक्षेप ही तो है। भारतीय संस्कृति तो किसी भी व्यक्ति को दंडित करने के लिए पूरी तरह से राज्य का सहारा लेती है, भले ही अनुशासन बनाए रखने के लिए भारतीय संस्कृति सामाजिक बहिष्कार को मान्यता देती है लेकिन सामाजिक दंड देने का प्रावधान अस्वीकारती है।

आज समाज का हर निर्णय तंत्र के बने कानून से तय होता है। कानून संविधान के अनुसार तंत्र बनाता है और आजादी के बाद जो संवैधानिक व्यवस्था हमें दी गई उसमें परिवार, गांव, समाज को कोई संवैधानिक मान्यता नहीं दी गई है। फलतः संयुक्त परिवार टूट कर एकल परिवार व्यवस्था में बदलती गई और अब परिवार भी व्यक्ति–व्यक्ति तक सीमित होता जा रहा है। व्यक्ति के अंदर स्वार्थ और हिंसा भाव बढ़ता गया क्योंकि उसकी संयुक्त जिम्मेदारी कुछ भी बाकी नहीं रही थी। अनेक समाज–तोड़क और परिवार–तोड़क कानून संविधान में डाल दिए गए। हम सांस्कृतिक मामलों तक में भी विदेशों की नकल करते रहे और इसे संवैधानिक मान्यता दिलाते रहे। परिणामस्वरूप हमारे समाज का मौलिक ढ़ांचा ही क्रमशः कमजोर होता चला गया। जो भारत कभी विचारों का निर्यातक देश था, अब हम विचारों का आयात करने वाले देश बन कर रह गए हैं।

गुलामी काल तक भारतीय संस्कृति की मिट्टी इतनी मजबूत थी कि यहां दयानंद, विवेकानंद और गांधी जैसे विश्व प्रसिद्ध विचारक पैदा होते रहे लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विदेशी संस्कृति के अंधानुकरण के चलते तो हम वैचारिक धरातल पर काफी नीचे गिरते चले गए और अब जयप्रकाश और अन्ना हजारे से ही संतोष करके रह लेते हैं।

आज 'मजबूतों से दबना और कमजोरों को दबाना' हमारी भारतीय संस्कृति की एक पहचान बन गई है। एक दूसरा लक्षण हमारी संस्कृति में और भी देखने को मिलता है – अधिकांश लोगों में 'कम से कम प्रयत्न में अधिक से अधिक लाभ कमाने की प्रवृत्ति का पाया जाना,' माने कि इसे ही हम चालाकी कहते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि यह दोनों ही परिवर्तन हमारी मूल संस्कृति के विरुद्ध है।

मैं अभी भी आश्वस्त हूँ कि बदलाव की शुरुआत विचार–मंथन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा कर ही हो सकती है, जिसके लिए हमें वातावरण बनाना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि योग्यता और क्षमता के अनुसार व्यक्ति को पहचान और काम देकर तथा संयुक्त संपत्ति और संयुक्त जिम्मेदारी के आधार पर परिवार व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता देकर व्यक्ति के स्वभाव में आए बदलाव 'स्वार्थ और हिंसा' में कमी की जा सकती है। सारी दुनिया को भारतीय संस्कृति से एक बड़े बदलाव की आशा है। हम आप सबको मिल बैठकर इस संबंध में गंभीर चिंतन करना चाहिए।

क्रमशः भाग दो

एक ही रास्ता (नाटक)

परिकल्पना एवं शोध – श्री बजरंग मुनि

नाट्य रूपान्तरण – श्री राम प्यारे 'रसिक'

प्रस्तुति मार्गदर्शन – श्री रामसेवक गुप्ता

निर्देशक/प्रस्तुति –श्री आनन्द कुमार गुप्ता

दृश्य तीन

(तीनों काकटेल पार्टी और नृत्य का आनन्द लेते है।नेता, गुण्डा, धर्मगुरू, उद्योगपति बैठे हैं।)

धर्मगुरू – नेताजी! आपने यह क्या कर दिया। आपके लोग खुले आम मुसलमानों के पक्ष में बोलतेहैं और हमें गाली देते हैं। वे हमें साम्प्रदायिक कहते हैं। यहाँ तक कि आप भी उन्हीं की हां में हां मिलाते हैं। आपने मुसलमानों और इसाइयों के पक्ष में कानून भी बना दिये हैं। क्या यह हमारे साथ धोखा नहीं है।

व्यापारी– बिल्कुल ठीक कहते हैं पण्डित जी। नेताजी ने तो मजदूरों को इतना सर पर चढ़ा रखाहैकि ये बात बात में हम पर केस करने की धमकी देते हैं। आप मजदूरों को सस्ता राशन, सस्ता कपड़ा इस तरह बांट रहे हैं कि वे काम करना ही नहीं चाहते। हमारा उत्पादन प्रभावित हो रहा है जो देश का भी नुकसान है और हमारा भी।

गुण्डा– अरे भाई सेठ जी। नेताजी ने सिर्फ आपके साथ ही धोखा नहीं किया है। उन्होंने तो हमारेसाथ भी धोखा किया है। थोड़ी थोड़ी बात में दारोगा बन्द करने की धमकी देता है और कभी कभी तो पीटता भी है।

व्यापारी– हां, ठीक कहते हो, मामूली–सा इंस्पेक्टर हमारे कारखाने में आता है और हमें ही धमकी देता है। अरे! हमारे जैसे संपन्न आदमी उसके आगे गिड़गिड़ाते हैं, उसे पैसे भी देते हैं। इसकी शिकायत करें भी तो कहां करें। ऊपर से नीचे तक हर जगह हिस्सा बँटा हुआ है...

गुण्डा – आपके साथ तो फिर भी अच्छा व्यवहार करता है, जो पैसा लेकर छोड़ देता है। हमारे साथ तो और भी अन्याय होता है। पैसा भी लेता है और कोर्ट में भी दौड़ाता है। पूछने पर कहता है कि तुम्हें पीटा नहीं, वही क्या कम है।

धर्मगुरू– जिस तरह नेता जी ने हमारे साथ धोखा किया है उसे अब या तो नेता जी साफ करें या हम सब मिलकर कोई और मार्ग खोजें।

नेता– मैने किसी के साथ धोखा नहीं किया है, जब समाज को बांट कर रखना है, यह उसी दिन तय हुआ था तो बताइये कि दो गुटों में बांटकर यदि हम लोग अपने–अपने गुट का पक्ष न ले तो दो गुट बनेंगे कैसे? हमारी मजबूरी है कि हम कमजोर तबके को हमेशा ही कमजोर बना रहने दें और उन्हें जबानी इस तरह प्रोत्साहित करें कि वे सभी मजबूत लोगों को अपना दुश्मन समझने लगें।

व्यापारी– किन्तु यह बताइये कि आपने आदिवासियों को इतना सिर पर क्यों चढ़ा रखा है कि वे धीरे–धीरे आग मूतने लगे हैं।

नेता– तुम नहीं समझते सेठ। धन कमा लेने से ही तो सारी अकल नहीं आ जाती। बताओ कि कौन आदिवासी उद्योगपति बन पाया। उसकी जमीन बेचने पर हमने रोक लगा दी। अब कोई

किसान अपनी जमीन पर न घर बना सकेगा न उद्योग लगा सकेगा। कृषि उपज का दाम हम बढ़ने ही नहीं देंगे। वह जीवन भर हल जोतता रहेगा या पेड़ लगाता रहेगा और तुम ठाठ से हवाई जहाज की सैर करते रहना।

धर्मगुरू– बात तो नेताजी की ठीक है भाई। इनकी भी तो मजबूरी है। इन्हें भी तो चुनावलड़ना है (नेताजी की ओर मुड़कर) यह बताइये नेताजी कि आगे की आपकी क्या योजना है?

नेताजी– अभी तो बहुत काम बाकी है भाई। अब पुरुष महिला के बीच दीवार खड़ी करनी है। फिर गांव और शहर को गुटों में बांटना है। तुम लोग यदि साथ जुड़े रहे तो हम तो ऐसा काम कर देंगे कि हर घर परिवार गुटों में बँट जायेगा और सब हमपर निर्भर हो जायेंगे।

गुण्डा– अच्छा! अब और आगे मत बताइये। हम समझ गये कि आप जो भी कर रहे हैं, यह सोचकर ही कर रहे हैं।

संन्यासी का प्रवेश

आज खड़ा सम्पूर्ण देश के आगे यहाँ सवाल हैं,
ज्ञानयज्ञ ऐसे में लेकर निकला आज मशाल है।।

राजनीति में जहर घुला है, टूट रही है दीवारें।
मन्दिर उगल रहे हैं शोले, खंजर गढ़ती मीनारें।
कब्बे मोती के अधिकारी चुगता रेत मराल है।
ज्ञानयज्ञ ऐसे में लेकर.....

खतरे में है आज शराफत, नेता दंगे करवाते।
मुल्ला ? पण्डित के झगड़े में लोगों के घर जल जाते।
षडयंत्रों से आज हिल रही. संसद की दीवार हैं।
ज्ञानयज्ञ ऐसे में लेकर.....

शोषक भ्रष्टाचारी ही इस युग में नाम कमाता है।
जो अबला की शील लूटता, वही राम बन जाता है।
तोड़ रहा है जन–जीवन को, चंदा और हड़ताल है।
ज्ञानयज्ञ ऐसे में लेकर.....

गुण्डे हैं हर ओर सुरक्षित, सज्जन आँसू पीते हैं।
आज वोट की राजनीति में, मर–मर कर हम जीते हैं।
धूर्त, दगाबाजों का फैला, यहां बजरंग जाल है।
ज्ञानयज्ञ ऐसे में लेकर.....

ज्ञानयज्ञ, अपराध मुक्त जीवन का सुन्दर सपना है,
जो मानवता को जीवन दे, राज धर्म वह अपना है।
ज्ञानयज्ञ इस अन्धकार में अव्यवस्था का काल है।
ज्ञानयज्ञ ऐसे में लेकर.....

हमारी संस्थाएँ

- मार्गदर्शक सामाजिक शोध संस्थान
- ज्ञान यज्ञ परिवार

संस्थान के कार्य

- समाज विज्ञान पर विश्वव्यापी रिसर्च तथा निष्कर्ष निकालना।

परिवार के कार्य

- देश भर में ज्ञान केन्द्रो का इस तरह विस्तार कि वहाँ स्वतंत्र विचार मंथन हो तथा संवाद प्रणाली विकसित हो।

कार्यक्रम

- ज्ञान चर्चा- प्रतिदिन शाम साढ़े आठ से साढ़े नौ बजे तक किसी एक पूर्व घोषित विषय पर स्वतंत्र वेबिनार।
- ज्ञान मंथन- प्रत्येक रविवार को जूम एप के माध्यम से दोपहर ग्यारह बजे बजरंग मुनि जी द्वारा पूर्व निर्धारित विषय पर विचार प्रस्तुति तथा सोमवार को ग्यारह बजे उक्त विषय पर प्रश्नोत्तर ।
- मार्गदर्शक मंडल- ऐसे न्यूनतम पाँच सौ लोगों की टीम तैयार करना जो समाज विज्ञान पर रिसर्च करने की क्षमता रखते हैं।
- ज्ञान कुंभ- वर्ष मे दो बार पंद्रह-पंद्रह दिनो के ज्ञान कुंभ जिसमे मार्ग दर्शक मंडल के लोग स्वतंत्र विचार द्वारा प्रतिदिन दो-दो विषयों पर निष्कर्ष निकाल कर समाज को दें।

माध्यम

- ज्ञान तत्व पाक्षिक पत्रिका
- फेसबुक एप से प्रसारण
- वाट्सएप ग्रुप से प्रसारण
- जूम एप पर वेबिनार
- यू टयूब चैनल
- इस्टाग्राम
- टेलीग्राम
- कू एप

ज्ञानतत्व पाक्षिक पत्रिका का माह में दो प्रति का संपादन सुचारु रुप से होना शुरु हो गया है। इसकी सहयोग राशि रु. 100/- वार्षिक अभी तय किया गया है। लेख प्रस्तुती आदि पर सुझाव अवश्य दें।

पंजीकृत पाक्षिक
पंजीकरण क्रमांक-68939/98

डाक पंजीयन क्रमांक- छ.ग./रायगढ़/010/2022-2024

प्रति,

श्री/श्रीमती _____

_____

_____

_____

संदेश

वर्तमान संसदीय लोक तंत्र में तो संसद एक जेल खाना है। जहां हमारा भगवान रुपी संविधान कैद है। भगवान को जेलखाने से मुक्त कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। संसदीय लोकतंत्र को सहभागी लोकतंत्र में बदलना ही होगा। लोक संसद के लिये आंदोलन इसका प्रारंभिक चरण है। लोक स्वराज्य मंच ने इसकी पहल की है। लोक स्वराज्य मंच से जुड़िये और अपने भगवान को जेलखाने से मुक्त कराने की पहल कीजिए।

- बजरंगलाल

पत्र व्यवहार का पता

पता - बजरंग लाल अग्रवाल पोस्ट बॉक्स 15, रायपुर (छ.ग.) 492001
Website : www.margdarshak.info

प्रकाशक, सम्पादक व स्वामी - बजरंग लाल
09617079344
Email : bajrang.muni@gmail.com
support@margdarshak.info
Facebook Id : बजरंग मुनि (User Name)

मुद्रक - माया प्रेस रामानुजगंज, सरगुजा (छ.ग.)